संख्याः–685 / XVII-5 / 16 / 09(17) / 2004

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(i) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(ii) मण्डलायुक्त,
गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल,
उत्तराखण्ड।

(iii) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(vi) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

(v) प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0
(उपनल), देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून :दिनांक05 जुलाई 2016

विषयः–उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के माध्यम से पूर्व सैनिकों को प्रायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–595 / XVII-5/16-09(17)/2004 दिनांक 09.06.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भविष्य में उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) द्वारा केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही 10 वर्ष की अवधि तक विभिन्न शासकीय विभागों / निगमों में प्रायोजित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ उनके विधिक आश्रितों को भी विभिन्न विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों में विभागीय मांग के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार उपनल के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ उनके विधिक आश्रितों को भी विभिन्न विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों में विभागीय मांग के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किया जाय। शासनादेश संख्या–595 / XVII-5/16-09(17)/2004 दिनांक 09.06.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्राविधान पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– –– (1) / XVII-5 / 16–09(17)04 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

F/UPNAL 2016